रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 1975/आषाढ़ 20, 1897

No. 254] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 1975/ASADHA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDERS

New Delhi, the 11th July 1975

S.O. 350(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And, whereas, any strike in the textile mills in the districts of Indore, Ujjain, Dewas, Dhar, Ratlam, Mandsaur, Jhabua, East Nimar and West Nimar of Madhya Pradesh would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the textile mills in the said districts;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute, in the textile mills in the districts aforesaid for a period of six months.

[No. F. S-42025/14/75-DK1A]

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1975

का० आ० 350(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में जो प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए, जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यत: मध्य प्रदेश के इन्दौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, मांडसौर, झबुआ, पूर्व निमार और पश्चिम निमार के जिलों में कपड़ा मिलों में कोई हड़ताल, प्रदाय और सेवाओं को, जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक हैं, बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उक्त जिलों में कपड़ा मिलों में हड़तालें रोकना आवश्यक और समीचीन है;

अत:, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त जिलों में कपड़ा मिलों में किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल को छ: मास की अवधि के लिए तुरन्त प्रभाव से एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० फ.० एस-42025/14/75-डी वे-1ए]

S.O. 351(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And, whereas, any strike in the works (other than the works connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply) connected with the Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said works;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the said works for a period of six months.

[No. F. S-42025/21/74-DIA]
D. BANDYOPADHYAYA, Jt. Secy.

का० आ० 351(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यत: नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली से संबंधित संकर्मों (जनता को विद्युत ऊर्जा के प्रदाय या ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिये विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, संचयन अथवा प्रेषण से सम्बद्ध संकर्मों को छोड़कर) में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उक्त संकर्मों में हड़तालें रोकना आवश्यक और समीचीन है;

अत: अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त संकर्मों में किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी हड़ताल को एतद्द्वारा छ: मास की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध करती है ।

[संख्या फा० एस-42025/21/74-डी-1ए]

डी० बन्द्योपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975